JHKH030004552021

<u>न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।</u>

उपस्थित : विद्यावती कुमारी।
<u>अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।</u>

<u>निर्णय की तिथि : 10-03-2025</u>
जिला : खूँटी।

<u>जी0 आर0 संख्या 186/2021</u>
<u>कर्रा थाना कांड संख्या 03/2021</u>
CNR No.-JHKH030004552021

राज्य सरकार द्वारा पु0अ0नि0 नन्द किशोर सिंह--------------------------------सूचक।

बनाम्

1. तिजेन्द्र महतो, उम्र 36 वर्ष, पे0 लालमोहन महतो, सा0 लोहागढ़ा, थाना कर्रा, जिला खूंटी--------------------अभियुक्त।

अभियोजन पक्ष की ओर से :- श्री बरूणेय सिंह।
विद्वान सहायक लोक अभियोजक।

बचाव पक्ष की ओर से :- श्री आर0 के0 जायसवाल।
विद्वान अधिवक्ता।

<u>अनुलग्नक - II</u>

घटना की तिथि	02-01-2021
प्राथमिकी की तिथि	02-01-2021
आरोप-पत्र की तिथि	02-03-2021
आरोप गठन की तिथि	27-08-2021
गवाही शुरु होने की तिथि	23-09-2021
तिथि जिस दिन निर्णय हेतु रखा गया	05-03-2025
निर्णय की तिथि	10-03-2025
सजा की तिथि अगर हुई हो	नहीं

<u>अभियुक्तगण की विवरणी :</u>

कम सं0.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप की धाराएं	दोषी या रिहा	सजा की अवधी	सजा की अवधी जो विचारण में

							बीती हो धारा 428 Cr.P.C. हेतु
1.	तिजेन्द्र महतो, पे0 लालमोहन महतो, सा0 लोहागढ़ा, थाना कर्रा, जिला खूंटी।	03–01–2021	20–02–2021	धारा–25 (1–B)a, 26 आर्म्स एक्ट।	रिहा		

अनुलग्नक – III

गवाहों की सूची – अभियोजन / बचाव / न्यायालय

क. अभियोजन साक्षी

क0 सं0	**नाम**	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	सुधीर एक्का	आरक्षी
2	प्रेमचंद टोप्पो	हवलदार
3	प्रकाश तिर्की	हवलदार
4	नन्द किशोर सिंह	सूचक
5	सुधीर कुमार	अनुसंधानकर्ता
6	विक्की गोप	अन्य

ख. बचाव पक्ष के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	**नाम**	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

ग. न्यायालय के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	**नाम**	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

प्रदर्शों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन

क0 सं0	प्रदर्श	**विवरणी**
1	जप्ती सूची पर साक्षी सुधीर एक्का का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**PI/PW1**
2	जप्ती सूची पर साक्षी प्रेमचंद टोप्पो का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P2/PW2**
3	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P4/PW4**
4	जप्ती सूची पर सूचक का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P3/PW4**
5	गिरफतारी ज्ञापन पर सूचक का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P5/PW4**
6	औपचारिक प्राथमिकी पर थाना प्रभारी मुन्ना कुमार सिंह का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P6/PW5**

ख. बचाव

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	प्रस्तुत नहीं किया गया	

ग. न्यायालय

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

घ. वस्तु प्रदर्श

क0 सं0	वस्तु प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में उपर वर्णित एकमात्र अभियुक्त तिजेन्द्र महतो का विचारण धारा–25 (1–B)a, 26 आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोपों के लिये किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी पु0 अ0 नि0 नन्द किशोर सिंह के अनुसार इस प्रकार है कि दिनांक–02–01–2021 को समय करीब 06.30 बजे शाम में लोधमा पिकेट में उपस्थित थे, उसी समय राकेश जायसवाल, पिता स्व0 भोला प्रसाद जायसवाल, पता देवी मंडप रोड, पिस्का मोड़ के पास, थाना सुखदेवनगर, जिला रांची पिकेट पर पहुंचे और एक लिखित आवेदन दिये कि इनके दो साथी को कनसिली स्थित लवडेल पब्लिक स्कूल के पास ग्राम लोहागढ़ा के तिजेन्द्र महतो हथियार का भय दिखाकर बंधक बनाये हुये हैं तथा रंगदारी के रूप में पैसा ए0टी0एम0 से निकालकर लाने के लिये लोधमा बाजार भेजे हैं। इसकी सूचना थाना प्रभारी कर्रा को देते हुये विशेष दूत के माध्यम से आवेदक का आवेदन कांड दर्ज करने हेतु कर्रा थाना भेजा तथा आवेदक राकेश जायसवाल को साथ लेकर वे लोधमा पिकेट के रिजर्व गार्ड हवलदार प्रकाश तिर्की, हवलदार शनिचर खड़िया, आरक्षी 610 प्रेमचंद टोप्पो, आरक्षी 448 सुधीर एक्का, आरक्षी 572 विजय केरकेट्टा, आरक्षी 305 नरेश चन्द्र बोदरा के साथ कनसिली लवडेल पब्लिक स्कूल के लिये समय करीब 06.50 बजे शाम में प्रस्थान कर 07.00 बजे लवडेल पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा तो देखा कि दो व्यक्ति जमीन पर बैठे हुये हैं तथा एक व्यक्ति खड़ा है जो पुलिस बल को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस बल के सहयोग से घेरकर पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम तेजेन्द्र कुमार महतो, पिता लालमोहन महतो, ग्राम लोहागढ़ा, थाना कर्रा, जिला खूंटी बताया। घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं रहने के कारण साथ आये आरक्षी 610 प्रेमचंद टोप्पो एवं आरक्षी 448

सुधीर एक्का दोनों लोधमा पिकेट रिजर्व गार्ड को गवाह बनाते हुये स्वयं का तलाशी देते हुये पकड़ाये व्यक्ति तेजेन्द्र कुमार महतो का तलाशी लिया जिसके कमर में दाहिने तरफ खोंसा हुआ एक देशी लोडेड कट्टा जिसकी लंबाई करीब 24 सें0मी0, बैरल की लंबाई करीब 14 सें0मी0, बट की लंबाई करीब 09 सें0मी0, बॉडी की लंबाई करीब 10 सें0मी0 तथा अनलोड करने पर एक जिंदा कारतूस जिसके पेंदे पर 8एम.एम. एवं के.एफ लिखा हुआ तथा बांये पॉकेट में रखा वीवो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल जिसमें जियो कंपनी का सिम नंबर 9113364906 लगा हुआ बरामद हुआ जिसे विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया जिस पर दोनों गवाह अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिये जिसकी एक प्रति तेजेन्द्र कुमार महतो को प्राप्त कराया। बैठे हुये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना–अपना नाम अनिमेश पाण्डे, पिता स्व0 अशोक पाण्डेय, पता रातु रोड, मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला रांची तथा विक्की गोप, पिता बिगलु गोप, ग्राम ईटकी, ठाकुर गांव, थाना ईटकी, जिला रांची बताया तथा बताये कि पकड़ाये व्यक्ति तेजेन्द्र कुमार महतो हम दोनों को हथियार का भय दिखाकर बंधक बनाये हुये थे और राकेश जायसवाल को रंगदारी का पैसा लाने के लिये लोधमा ए0टी0एम0 भेजे थे।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर कर्रा थाना कांड संख्या 03/2021, दिनांक–02–01–2021, धारा–25 (1–B)a, 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुआ जिसका अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी ने किया और घटना को सत्य पाकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में धारा–25 (1–B)a, 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध का संज्ञान लिया।

4. दिनांक–27–08–2021 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–25 (1–B)a, 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिस पर अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं विचारण का दावा किया है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1 सुधीर एक्का, अभियोजन साक्षी संख्या 2 प्रेमचंद टोप्पो, अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रकाश तिर्की, अभियोजन साक्षी संख्या 4 नन्द किशोर सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 5 सुधीर कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या 6 बिक्की गोप का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिनका बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया है।

6. अभियुक्त का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दिनांक–25–02–2025 को दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया है।

7. अब निर्धारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>मंतब्य</u>

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. सुधीर एक्का ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 02—01—2021 की है। उस समय वे आरक्षी के पद पर लोधमा टी0ओ0पी0 में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को शाम में राकेश जायसवाल लोधमा टी0ओ0पी0 में आये और बताये कि लवडेल पब्लिक स्कूल के पास दो व्यक्ति को बंधक बनाया गया है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी नन्द किशोर सिंह और सशस्त्र बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि दो व्यक्ति जमीन पर बैठे हुये थे और एक व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ लिया गया और तलाशी ली गई। तलाशी के कम में पकड़ाये व्यक्ति के पास से एक देशी कट्टा एवं एक मोबाइल बरामद हुआ जिसे विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा जप्ती सूची पर गवाह के रूप में उनका हस्ताक्षर है, जिसे **प्रदर्श—PI/PW1** अंकित किया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वे किसी को अपने सामने बंधक बनाते नहीं देखे हैं। यह केस राकेश जायसवाल के बताये अनुसार किया गया था। वे राकेश जायसवाल को न जानते हैं और न वे उनसे पूछताछ किये हैं। वे तलाशी नहीं लिये थे। काफी दिन हो जाने के कारण वे पकड़ाये व्यक्तियों को अभी नहीं पहचान सकते हैं। इस केस के अनुसंधानकर्ता उनसे कोई पूछताछ नहीं किये थे और इस केस के बारे में आज पहली बार बोल रहे हैं।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 2 प्रेमचंद टोप्पो ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 02—01—2021 की है। उस समय वे आरक्षी के पद पर लोधमा टी0ओ0पी0 में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को शाम में राकेश जायसवाल लोधमा टी0ओ0पी0 में आये और बताये कि लवडेल पब्लिक स्कूल के पास दो व्यक्ति को बंधक बनाया गया है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी नन्द किशोर सिंह और सशस्त्र बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि दो व्यक्ति जमीन पर बैठे हुये थे और एक व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ लिया गया और तलाशी ली गई। तलाशी के कम में पकड़ाये व्यक्ति के पास से एक देशी कट्टा एवं एक मोबाइल बरामद हुआ जिसे विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा जप्ती सूची पर गवाह के रूप में उनका हस्ताक्षर है, जिसे **प्रदर्श—P2/PW2** अंकित किया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जो

लोग बैठे हुये थे, उन लोगों को वे नहीं पहचानते हैं। यह केस राकेश जायसवाल के बताये अनुसार किया गया था। वे राकेश जायसवाल को न जानते हैं और न वे उनसे पूछताछ किये हैं। वे किसी को अपने सामने बंधक बनाते नहीं देखे हैं। पिस्तौल का बट, बैरल एवं बॉडी की लंबाई, ईंच या सेंटीमीटर में नहीं बता सकते हैं। काफी दिन हो जाने के कारण वे पकड़ाये व्यक्तियों को अभी नहीं पहचान सकते हैं। इस केस के अनुसंधानकर्ता उनसे कोई पूछताछ नहीं किये थे और इस केस के बारे में आज पहली बार बोल रहे हैं।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रकाश तिर्की ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 02–01–2021 की है। उस समय वे हवलदार के पद पर लोधमा टी0ओ0पी0 में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को शाम में राकेश जायसवाल लोधमा टी0ओ0पी0 में आये और बताये कि लवडेल पब्लिक स्कूल के पास दो व्यक्ति को बंधक बनाया गया है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी नन्द किशोर सिंह और सशस्त्र बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि दो व्यक्ति जमीन पर बैठे हुये थे और एक व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ लिया गया और तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में पकड़ाये व्यक्ति के पास से एक देशी कट्टा एवं एक मोबाइल बरामद हुआ जिसे विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। इसके बाद हम लोग पकड़ाये अभियुक्त एवं जप्त सामानों के साथ थाना वापस आ गये। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जो लोग बैठे हुये थे, उन लोगों को वे नहीं पहचानते हैं। यह केस राकेश जायसवाल के बताये अनुसार किया गया था। वे राकेश जायसवाल को न जानते हैं और न वे उनसे पूछताछ किये हैं। वे किसी को अपने सामने बंधक बनाते नहीं देखे हैं। पिस्तौल का बट, बैरल एवं बॉडी की लंबाई, ईंच या सेंटीमीटर में नहीं बता सकते हैं। वे तलाशी नहीं लिये थे। पु0अ0नि0 सुधीर कुमार को वे जानते हैं। घ ाटनास्थल पर जप्ती सूची उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। काफी दिन हो जाने के कारण वे पकड़ाये व्यक्तियों को अभी नहीं पहचान सकते हैं। इस केस के अनुसंधानकर्ता उनसे कोई पूछताछ नहीं किये थे और इस केस के बारे में आज पहली बार बोल रहे हैं।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 4 नन्द किशोर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घ ाटना 02.01.2021 की है उक्त तिथि को वे पु0अ0नि0 के पद पर कर्रा थाना के लोधमा पिकेट में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को समय करीब 6:30 बजे शाम राकेश जयसवाल लोधमा पिकेट पर आये और एक लिखित आवेदन दिये और बताये कि ग्राम लोहागाडा के रहने वाला तेजेन्द्र कुमार महतो ग्राम कनसिलि स्थित लबडेल पब्लिक स्कूल के पास उनके दो साथियों को हथियार का

भय दिखाकर बंधक बनाये हुये हैं तथा उन्हें लोधमा ए0टी0एम0 से पैसा निकालने के लिए भेजे। उक्त सूचना से थाना प्रभारी कर्रा को अवगत कराते हुए लिखित आवेदन को विशेष दूत के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हूतु कर्रा थाना भेजा गया। तत्पश्चात् वे पु0अ0नि0 नंद किशोर सिंह लोधमा पिकेट में उपस्थित रिजर्व गार्ड के हवलदार प्रकाश तिर्की, हवलदार शनिचर खडिया, आरक्षी प्रेमचंद टोप्पो आरक्षी सुधीर एक्का आरक्षी नरेश चंद्र बोदरा एवं आरक्षी विजय केरकेटटा के साथ पीड़ित राकेश जयसवाल को लेकर करीब 6:50 बजे शाम लोधमा पिकेट से प्रस्थान कर करीब 7:00 बजे शाम को लबडेल स्कूल के पास पहुँचे तो देखे कि दो व्यक्ति जमीन पर बैठे हुये हैं तथा एक व्यक्ति खडा है जो पुलिस बल को देखकर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से भागते हुए व्यक्ति को पकडा गया तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम तेजेन्द्र कुमार महतो बताया। घटनास्थल के आस–पास कोई स्वतंत्र साक्षी न रहने की स्थिति मे छापामारी दल में शामिल आरक्षी प्रमचंद टोप्पो एवं सुधीर एक्का को स्वतंत्र गवाह मानते हुए पकडाये व्यक्ति का तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में तेजेन्द्र कुमार महतो के कमर में दायें तरफ खोंसा हुआ एक देशी लोडेड कट्टा पाया गया जिसकी कुल लंबाई करीब 24 सेमी0, बैरल की लं0 14 सेमी0 बट की लंबाई 09 से0मी0 एवं बॉडी की लंबाई करीब 10 से0मी0 पाया गया तथा अनलोड़ करने पर एक जिंदा कारतूस जिसके पेंदे पर 8 एम.एम. के.एफ. अंकित पाया गया। बायें पांकेट में एक वीवो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल जिसमें जियो कंपनी का एक सिम जिसका नंबर 9113364906 भी पाया गया। तेजेन्द्र कुमार महतो के पास से जप्त उक्त देशी कट्टा कारतूस सहित एवं मोबाईल फोन विधिवत जप्त किया गया। तत्पश्चात् तेजेन्द्र कुमार महतो को विधिवत गिरफतार कर कर्रा थाना लाये एवं एक लिखित आवेदन के साथ जप्त समानों को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु तत्कालीन थाना प्रभारी पु0अ0नि0 मुन्ना कुमार सिंह को दिया। यह लिखित आवेदन उनके द्वारा लिखा गया है जिस पर उनका हस्ताक्षर है पहचानता हूॅं, जिसे प्रदर्श p4/pw4 अंकित किया गया है। जप्ती सूची पर उनका हस्ताक्षर है पहचानता हूॅं, जिसे प्रदर्श p3/pw4 अंकित किया गया है। गिरफतारी ज्ञापन पर उनका हस्ताक्षर है, पहचानता हूं जिसे प्रदर्श p5/pw4 अंकित किया गया है। आज अभियूक्त प्रतिनिधित्व पर है जिसे साक्षी देखकर पहचानने का दावा करते हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जप्ती सूची किसके द्वारा बनाया गया था उन्हें उसका नाम याद नहीं है। उसने जप्ती सूची नहीं बनाया था। गिरफतारी ज्ञापन भी उनके द्वारा नहीं बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, उन्हें नाम याद नहीं है। गिरफतारी ज्ञापन और जप्ती सूची में थाना कांड संख्या अंकित है। लिखित

आवेदन में अथवा जप्ती सूची में जप्त प्रदर्श को घटनास्थल पर सील करने की बात नहीं लिखे हैं। राकेश कुमार जायसवाल घटनास्थल में मौजूद थे जो स्वतंत्र व्यक्ति थे उन्हे उसने जप्ती सूची का गवाह नहीं बनाया। जप्ती सूची में उसने यह अंकित नहीं किया है कि पिस्तौल लोहे का था या पीतल या प्लास्टिक का था। गोली जिंदा है अथवा नहीं इसका जांच करने के लिये वे सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 5 सुधीर कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 02.01.2021 को वे पु0अ0नि0 के पद पर कर्रा थाना में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को थाना प्रभारी मुन्ना कुमार सिंह के आदेश अनुसार इस कांड का अनुसंधान भार ग्रहण किया। अनुसंधान भार ग्रहण करने के पश्चात कांड का अवलोकन कर केस दैनिकी में अंकित किया। इसके पश्चात वादी का पुनः बयान केस दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 03.01.2021 को साक्षी प्रेमचंद टोप्पो एवं सुधीर एक्का का बयान लिया तथा कांड में गिरफतार अभियुक्त तिजेन्द्र कुमार महतो का अपराध स्वीकारोक्ति बयान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया इस कांड का घ टनास्थल कर्रा थाना से उत्तर दिशा में करीब 16 कि0मी0 दूर ग्राम कनसिली स्थित एस्बेस्टस छत वाला लबडेल पब्लिक स्कूल के पास उक्त स्कूल के पीछे परती जमीन में अवस्थित है जिसका चौहदी इस प्रकार है–उतर में करीब 400 मी0 पर लोधमा नगडी मुख्य मार्ग दक्षिण में करीब 10 मीटर की दूरी पर राजेश केसरी पिता स्व0 कृष्णा केसरी का उपजाउ जमीन पूरब में करीब 120 मीटर की दूरी पर सहायक कच्ची सडक जो लोधमा नगडी मुख्य मार्ग से लबडेल पब्लिक स्कूल तक आता है। उसके आगे करीब 2 कि0मी0 पर कर्रा–रांची मुख्य मार्ग पश्चिम में करीब 100 मीटर की दूरी पर कनसिली लोहागाडा जंगल स्थित है। साक्षी हवालदार प्रकाश तिर्की का बयान लिया तथा अभियुक्त को कांड में जप्त प्रदर्श के साथ माननीय न्यायालय में उपस्थापन उपरांत उपकारा खूंटी को सुपुर्द किया। दिनांक 04.01.2021 कांड में जप्त प्रदर्श को परिचारी प्रवर खूंटी से जांच कराने हेतु मानीय न्यायालय में आवेदन दिया तथा न्यायालय से आदेश प्राप्त किया। दिनांक 05.01.2021 माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जप्त प्रदर्श का जांच हेतु परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र खूंटी को सुपूर्द किया। दिनांक 06.01.2021 जप्त प्रदर्श का जांच प्रतिवेदन परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र खूंटी से प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 21.01.2021 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का ज्ञापांक 11/21 दिनाक 07.01.2021 के माध्यम से पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किये जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि धारा 25 (1–B)a/26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त तिजेन्द्र महतो के खिलाफ सत्य प्रतीत

होना बताया गया है। दिनांक 24.01.21 को प्राथमिकी अभियुक्त तिजेन्द्र महतो के विरूद्ध धारा 25 (1–B)a/26 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश हेतु आवेदन उचित माध्यम से भेजा गया। दिनांक 30.01.21 को इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास केस दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 12.02.21 को साक्षी अनिवेश पाण्डे एवं विक्की गोप का बयान लिया। दिनांक 18.02.21 को पुलिस अधिक्षक के कार्यालय ज्ञापांक 198/अप0 शा0 दिनांक 08.02.21 के माध्यम से प्रतिवेदन संख्या–2 प्राप्त हुआ जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि धारा 25 (1–B)a/26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त तिजेन्द्र महतो के खिलाफ सत्य पाया गया। दिनांक 01.03.21 को कांड के प्राथमिकी अभियुक्त तिजेन्द्र महतो के विरूद्ध उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी खूंटी का ज्ञापांक 91/विधि दिनांक 01.03.21 के आलोक में धारा–25 (1–B)a/26 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 02.03.21 को पुलिस अधिक्षक के कार्यालय ज्ञापांक 256/अप0 शा0 दिनांक 28.02.21 के माध्यम से प्रतिवेदन संख्या–3 प्राप्त हुआ जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कांड के प्राथमिकी अभियुक्त तिजेन्द्र महतो के विरूद्ध धारा–25(1–B)a/26 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित करने हेतु आदेशित कयाया गया है जिसके आलोक में कांड के प्राथमिकी अभियुक्त तिजेन्द्र महतो के विरूध धारा 25(1–B)a/26 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र सं0 13/2021 दिनांक 02.03.21 समर्पित कया। औपचारिक प्राथमिकी पर थाना प्रभारी मुन्ना कुमार सिंह का हस्ताक्षर है पहचानता हूं जिसे प्रदर्श–**p6/pw5** अंकित किया गया है। आज अभियुक्त प्रतिनिधत्व पर है। जिसे साक्षी देखकर पहचानने का दावा करते हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जप्ती सुची किसके लिखावट में है, वे नहीं बता सकते हैं। अनुसंधान के कम में उन्हें पता नहीं चला कि जप्ती सूची किसने लिखा था। वे अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी खूंटी से कभी नही मिला। वे उनके समक्ष कभी भी जप्त प्रदर्श को प्रस्तुत नहीं किये। अनुसंधान के कम में उन्हें एम0.आर0 नंबर प्राप्त नहीं हुआ। अनुसंधान के कम में उसने पिस्तौल को स्वंय नाप कर कोई ज्ञापन नहीं बनाये। आज न्यायालय में उनके द्वारा कोई भी वस्तु प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 6 बिक्की गोप ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 4–5 साल पहले की है। घटना के दिन वे अनिमेश एवं उसके एक दोस्त के साथ सोनमेर मंदिर कर्रा गये थे। घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में उनका कोई बयान नहीं हुआ था। अभियुक्त तिजेन्द्र महतो को वे नहीं पहचानते हैं। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के द्व

ारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इस केस के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

14. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन करते हैं परन्तु इन तीनों साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जो लोग बैठे हुये थे, उन लोगों को वे नहीं पहचानते हैं। यह केस राकेश जायसवाल के बताये अनुसार किया गया था। वे राकेश जायसवाल को न जानते हैं और न वे उनसे पूछताछ किये हैं। वे किसी को अपने सामने बंधक बनाते नहीं देखे हैं। पु0अ0नि0 सुधीर कुमार को वे जानते हैं। घटनास्थल पर जप्ती सूची उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। काफी दिन हो जाने के कारण वे पकड़ाये व्यक्तियों को अभी नहीं पहचान सकते हैं। इस केस के अनुसंधानकर्ता उनसे कोई पूछताछ नहीं किये थे और इस केस के बारे में आज पहली बार बोल रहे हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 4 जो इस मामले के सूचक हैं, अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन करते हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जप्ती सूची किसके द्वारा बनाया गया था, उन्हें उसका नाम याद नहीं है। उसने जप्ती सूची नहीं बनाया था। गिरफतारी ज्ञापन भी उनके द्वारा नहीं बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, उन्हें नाम याद नहीं है। गिरफतारी ज्ञापन और जप्ती सूची में थाना कांड संख्या अंकित है। लिखित आवेदन में अथवा जप्ती सूची में जप्त प्रदर्श को घटनास्थल पर सील करने की बात नहीं लिखे हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 5 जो इस मामले के अनुसंधानकर्ता हैं, अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन करते हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जप्ती सुची किसके लिखावट में है, वे नहीं बता सकते हैं। अनुसंधान के कम में उन्हें पता नहीं चला कि जप्ती सूची किसने लिखा था। अनुसंधान के कम में उन्हें एम0.आर0 नंबर प्राप्त नहीं हुआ। अनुसंधान के कम में उसने पिस्तौल को स्वंय नाप कर कोई ज्ञापन नहीं बनाये। आज न्यायालय में उनके द्वारा कोई भी वस्तु प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 6 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उन्हें इस केस के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से सभी साक्षियों के साक्ष्य में काफी विरोधाभास पाया गया है। इस तरह से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रस्तुत घटना अभियुक्त के द्वारा ही कारित किया है।

15. मैंने अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन एवं परिशीलन करने के पश्चात् मैं पाती हूँ कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त

संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः मैं पाती हूँ कि अभियुक्त **तिजेन्द्र महतो को धारा**–25 (1–B)a, **26 आर्म्स एक्ट** के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त **तिजेन्द्र महतो** को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धित

ह0/–
(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
दिनांक–10.03.2025

लेखापित

ह0/–
(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
दिनांक–10.03.2025